



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169019

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7916/2026

श्रीमती कुन्ता

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : श्वेता पाण्डेय

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदिका की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आई.एम. खान की सहायता कर रही विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता पाण्डेय तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 76 सन् 2026, धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-दिलारी, जनपद मुरादाबाद में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

3- आवेदिका की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदिका पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदिका को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदिका मृतका की सास है। आवेदिका के पुत्र एवं मृतका के मध्य विवाह दिनांक 07.06.2020 को संपन्न हुआ था। मृतका एवं उसके पति के वैवाहिक संबंध से दंपति के तीन बच्चे उत्पन्न हुए। कथित घटना दिनांक 12.05.2026 को घटित होना बताया गया है, जबकि एफ.आई.आर. सात दिन के लंबे विलंब के पश्चात दिनांक 19.05.2026 को दर्ज की गई। एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुए विलंब का अभियोजन द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचनाकर्ता उदित, उसके पिता तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवार के अन्य सदस्य दिनांक 12.05.2026 को पंचायतनामा तैयार किए जाने के समय उपस्थित थे, किंतु उस दिन उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। समुचित परामर्श एवं विचार-विमर्श के पश्चात वर्तमान एफ.आई.आर. आवेदिका एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध दर्ज कराई गई। आवेदिका के परिवार के अन्य सदस्य, अर्थात् आकाश (मृतका का पति) एवं हरकेश (मृतका का ससुर) जेल में हैं। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी लगाए जाने के परिणामस्वरूप दम घुटना है। आवेदिका एवं अन्य के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मृतका को पिछले छह वर्षों से दहेज की मांग को लेकर क्रूरता एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदिका विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगी। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदिका को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विवेचना में सहयोग करेगी तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगी।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू का खंडन नहीं किया।

5- मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने, जैसे कि देश छोड़ने, आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायिक विवेक का विषय है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा यह कोई जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। मात्र इस कारण कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवज्ञा करेगा और उसने वास्तव में पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है।

8- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदिका की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

9- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदिका **श्रीमती कुंता** की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के अधीन रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करेगी।

(ii)- आवेदिका विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगी तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित किया जाए, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी;

(iii)- आवेदिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv)- आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग की स्थिति में लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदिका को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

12 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।